F.D.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा, आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0:–12 / दावा / 2024 ता0 रजू 13.02.2024

GCMS ID–2024 / 16

उनवान

1. जमनालाल आ0 नारायण जाति मीणा नि0 फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. चंद्रकांता पत्नी स्व. हेमराज उर्फ फूलचंद जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. धीरज पुत्र स्व0 हेमराज उर्फ फूलचंद जर्ये सरंक्षक माता चन्द्रकांता पत्नी हेमराज उर्फ फूलचंद जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. हिमांशी पुत्री स्व0 हेमराज उर्फ फूलचंद जर्ये सरंक्षक माता चन्द्रकांता पत्नी हेमराज उर्फ फूलचंद जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मांगी बाई पत्नी नारायण जाति मीणा नि0 फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सोदरी पुत्री नारायण जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. उदा पुत्र चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कैलाश पुत्र चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. गोपाल पुत्र चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. बरजी पत्नी स्व0 चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. संतरा पुत्री चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. फूला पुत्री पुत्री नंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. मीरा बाई पुत्री नंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–वादीगण–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

बनाम

1. परमेश्वर पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सीता पुत्री भैरू पत्नी पप्पूलाल जाति मीणा निवासी फतेहगढ हाल नि0 सरस की आंतरी मजरा ओवन तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कमला पत्नी भैरू जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. ताराचंद आ0 भैरू जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. हरजी पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. कालू पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. फौरू आ0 रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. सोहनी पुत्री रामदेव पत्नी सांवला जाति मीणा निवासी फतेहगढ हाल निवासी विजयगढ जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

<u>दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः–

श्री शम्भूदयाल शर्मा अधि0 वादीगण

एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी 1 लगायत 8

आदेश

दिनांकः–20.02.2026

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि खसरा संख्या 180 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, 228 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, 247 रकबा 0.2995 है0, 414 रकबा 0.1781 है0, 529/253 रकबा 0.2671 है0, 530/257 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, 531/258 रकबा 0.1376 हैक्टेयर, 532/365 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, 533/392 रकबा 0.9632 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.4767 है0 वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 375 रकबा 0.1862 है0, 380 रकबा 0.1295 है0, 382 रकबा 0.4775 है0, 393 रकबा 0.2347 है0, 394 रकबा 0.1862 है0, 395 रकबा 0.2266 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4407 है0 वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल थाना जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 396 रकबा 0.6637 है0 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.6637 है0 वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 294 रकबा 0.3804 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.3804 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि की जमाबंदी वादपत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 390 रकबा 0.4937 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.4937 है0 वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 4 में सहखातेदार के रूप में मांगी बाई पुत्री नारायण अंकित किया हुआ है, जो गलत है। मांगी बाई नारायण की पत्नी है। इसी प्रकार सहखातेदार सोदरी पत्नी नारायण अंकित है, जो इन्द्राज गलत है। सोदरी नारायण जी की पत्नी न होकर पुत्री है। सहखातेदार सरजू पत्नी रामेदवा की मृत्यु हो चुकी है। सरजू के वारिस प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 है जो वाद में प्रतिवादीगण बनाए गए है। वादपत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित भूमियों संयुक्त खातेदारी की भूमियों है। भूमियों का सभी सहखातेदारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है लेकिन सभी सहखातेदारों के पास कम ज्यादा भूमि है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि चाह नम्बर 410 से सिंचित होती है तथा वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि चाह नम्बर 381 से सिंचित होती है। इसी प्रकार वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि चाह नम्बर 296 से सिंचिंत होती है। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की भूमियों को हिस्सेनुसार चाह से सिंचिंत कर अपनी उपज प्राप्त करते है। भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादीगण आये दिन भूमि की मेड को तोडते है तथा सिंचाई के धोरो को नष्ट करते हैं। प्रतिवादीगण ने चाह की गणी(पेंढ) को मिट्टी से भरकर उस पर अनाधिकृत कब्ज करने की चेष्टा से फसल बोते है जबकि चाह के एरिया पर सभी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सहखातेदारों का समान हक व अधिकार है। चाह की भ्रूमि पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण शामलाती भूमियों पर आने जाने हेतु बने हुए रास्तों में अवरूद्ध पैदा करते है जिससे अन्य सहखातेदारों को अपने हिस्से की भूमियों पर आने जाने में भी दिक्कत पैदा होती है। प्रतिवादी परमेश्वर व हरजी ने वादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमियों पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को बाधित कर दिया तथा फाटक को तोड दिया। जिसके बाबत ओलमा दिया तो उक्त प्रतिवादीगण ने गाली गलौच कर मारपीट पर आमादा हुए जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक खसरा संख्या पर प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारों को समान हक व अधिकार होता है। इसके बावजूद प्रतिवादी शामलाती भूमि में निहित वादीगण के हिस्से की भूमि पर दखलअंदाजी करते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादपत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु शामलाती खाते में से रास्ता रखते हुए शेष भूमि का तहसील कार्यालय हिण्डोली में चलकर आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवाने का दिनांक 15.12.2023 को निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इंकार हो गये और प्रतिवादी हरजी, कालू, फौरू, परमेश्वर, व ताराचंद ने वादीगण को धमकी दी कि हम भूमि का बंटवारा नहीं करवायेगे और भूमि पर आने जाने हेतु शामलाती खाते में से रास्ता भी नहीं देंगे और धमकी दी कि चाह के एरिया पर भी हम कब्जा करेगे तथा चाह के एरिया पर निर्माण करेगे तथा आडे फिरोगे तो जान से मारेगे। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का बंटवारा कराने से इंकार हो जाने से वादीगण को उक्त वाद का वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 15.12.2023 को उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित भूमियों का जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार विधिवत बंटवारा करवावे तथा भूमियों व चाह पर आने जाने हेतु संयुक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता सुरक्षित (रिर्जव) रखते हुए शेष भूमि का विधिवत बंटवारा करवावे तथा भूमि तथा चाह पर आने जाने हेतु सुरक्षित रखे गये रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में रिकॉर्ड पर दर्ज करवावे तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादीगण को स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करे तथा वादीगण का खाता पृथक पृथक कायम किया जावे। चाह के एरिया को सुरक्षित रखने तथा चाह के एरिया पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु तथा वादीगण के हिस्से व बंटवारे में प्राप्त भूमि पर दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे, साथ ही वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि में मांगी बाई पुत्री नारायण के इन्द्राज को दुरूस्त कर मांगी बाई पत्नी नारायण व सोदरी पत्नी नारायण के स्थान पर सोदरी पुत्री नारायण के इन्द्राज को दुरूस्त करवावे। वादग्रस्त भूमियॉ ग्राम फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद में बंटवारे का अनुतोष चाहने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार हिण्डोली को प्रतिवादी संख्या 9 बनाया गया है तथा प्रतिवादी सरजू की मृत्यु हो जाने से सरजु के वारिसान को वाद में प्रतिवादी बनाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादपत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावेः—वादपत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित भूमियों का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्दी व बुरी में से बुरी समान रूप से भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण का खाता पृथक पृथक कायम किया जावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादीगण को स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे। वादग्रस्त भूमि में स्थित चाह पर व भूमियों पर आने जाने हेतु संयुक्त खाते की भूमि में से रास्ता सुरक्षित करते हुए शेष भूमि का सहखातेदारो में हिस्सेनुसार बंटवारा किया जावे तथा रास्ते की भूमि को रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। भूमि व चाह पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने रास्ते में आवाजाही में दखलंदाजी नहीं करने तथा चाह की भूमि को सभी सहखातेदारो के उपयोग हेतु खुली रखने व चाह के एरिया पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु सभी काश्तकारों को पाबंद किया जावे। बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंअदाजी नहीं करने चाहे के उपयोग उपभोग में व चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नही करने तथा चाह व भूमि पर आने जाने तथा रास्ते के उपयोग में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को प्रदान की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी नं. 01 लगायत 08 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 09 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी नं. 01 लगायत 08 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई है।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 165, 153, 164, 152, 172 सम्वत 2076—2079 वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल बिशनपुरा तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी जमनालाल का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह दर्ज किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादीगण—प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :— 10.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :— राजस्व/25/2101

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दिनांक:– 09.07.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. चन्द्रकांता पत्नी हेमराज उर्फ फूलचन्द हिस्सा 1/3 ना0बा0 धीरज पुत्र हेमराज उर्फ फूलचन्द संरक्षक सरपरस्त माता चन्द्रकांता हिस्सा 1/3, ना0बा0 हिमांशी पुत्री हेमराज उर्फ फूलचन्द संरक्षक सरपरस्त माता चन्द्रकांता हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता नम्बर–172**	390/2	0.1645
	योग	**किता– 1**	**0.1645**
2.	1. उदा पुत्र चन्द्रा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता नम्बर–172**	390/1	0.1645
	योग	**किता– 1**	**0.1645**
	1. शेष खातेदार बदस्तूर जमाबंदी अनुसार। **खाता नम्बर 172**		
4.	1. जमना उर्फ जमनालाल पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार **खाता संख्या–165, 164, 153**	247/1 530/257/1 533/392/1	**0.1497** 0.0546 0.2408

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

		396/1 382/1 395/1 532/365/1	0.1659 0.2387 0.1619 0.0607
	योग	किता– 7	1.0723
5.	1. जमना पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 , सोदरी पत्नी स्व0 नारायण हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–192**	294/1	0.1660
	योग	किता– 1	0.1660
6.	1. उदा पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4, कैलाश पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4, गोपाल पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4, बरजी पत्नी स्व0 चन्द्रा हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–165, 164**	247/2 530/257/2 531/258/1 533/392/2 396/3	0.1498 0.0263 0.0283 0.1476 0.1659
	योग	किता– 5	0.5179
7.	1. उदा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5, कैलाश पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5, गोपाल पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5, बरजी पत्नी स्व0 चन्दा हिस्सा 1/5, सन्तरा पुत्री चन्दा जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–153, 165**	375 382/2 393 532/365/2	0.1862 0.2388 0.2347 0.0607
	योग	किता– 4	0.7204
	1. शेष खातेदार बदस्तूर जमाबंदी अनुसार। **खाता नम्बर 172, 165, 164, 153, 152**		

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली
बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

उनवान

1. जमनालाल आ0 नारायण जाति मीणा नि0 फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. चंद्रकांता पत्नी स्व. हेमराज उर्फ फूलचंद जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. धीरज पुत्र स्व0 हेमराज उर्फ फूलचंद जर्ये सरंक्षक माता चन्द्रकांता पत्नी हेमराज उर्फ फूलचंद जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. हिमांशी पुत्री स्व0 हेमराज उर्फ फूलचंद जर्ये सरंक्षक माता चन्द्रकांता पत्नी हेमराज उर्फ फूलचंद जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मांगी बाई पत्नी नारायण जाति मीणा नि0 फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सोदरी पुत्री नारायण जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. उदा पुत्र चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कैलाश पुत्र चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. गोपाल पुत्र चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. बरजी पत्नी स्व0 चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. संतरा पुत्री चंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. फूला पुत्री पुत्री नंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. मीरा बाई पुत्री नंदा जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. परमेश्वर पुत्र भैरू जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सीता पुत्री भैरू पत्नी पप्पूलाल जाति मीणा निवासी फतेहगढ हाल नि0 सरस की आंतरी मजरा ओवन तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कमला पत्नी भैरू जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. ताराचंद आ0 भैरू जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. हरजी पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. कालू पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. फौरू आ0 रामदेव जाति मीणा निवासी फतेहगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. सोहनी पुत्री रामदेव पत्नी सांवला जाति मीणा निवासी फतेहगढ हाल निवासी विजयगढ जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :–12/दावा/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री शम्भूलाल शर्मा एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू श्री एकतरफा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. चन्द्रकांता पत्नी हेमराज उर्फ फूलचन्द हिस्सा 1/3 ना0बा0 धीरज पुत्र हेमराज उर्फ फूलचन्द संरक्षक सरपरस्त माता चन्द्रकांता हिस्सा 1/3, ना0बा0 हिमांशी पुत्री हेमराज उर्फ फूलचन्द संरक्षक सरपरस्त माता चन्द्रकांता हिस्सा 1/3 जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता नम्बर–172**	390/2	0.1645
	योग	**किता– 1**	**0.1645**
2.	1. उदा पुत्र चन्द्रा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता नम्बर–172**	390/1	0.1645
	योग	**किता– 1**	**0.1645**
3.	1. शेष खातेदार बदस्तूर जमाबंदी अनुसार। **खाता नम्बर 172**		
4.	1. जमना उर्फ जमनालाल पुत्र नारायण हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 देह खातेदार **खाता संख्या–165, 164, 153**	247/1 530/257/1 533/392/1 396/1 382/1 395/1 532/365/1	**0.1497** **0.0546** **0.2408** **0.1659** **0.2387** **0.1619** **0.0607**
	योग	**किता– 7**	**1.0723**
5.	1. जमना पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 , सोदरी पत्नी स्व0 नारायण हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–192**	**294/1**	**0.1660**
	योग	**किता– 1**	**0.1660**
6.	1. उदा पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4, कैलाश पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4, गोपाल पुत्र चन्द्रा हिस्सा 1/4,	**247/2** **530/257/2**	**0.1498** **0.0263**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	बरजी पत्नी स्व0 चन्द्रा हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–165, 164**	531/258/1 533/392/2 396/3	0.0283 0.1476 0.1659
	योग	किता– 5	0.5179
7.	1. उदा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5, कैलाश पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5, गोपाल पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5, बरजी पत्नी स्व0 चन्दा हिस्सा 1/5, सन्तरा पुत्री चन्दा जाति मीणा सा0 देह खातेदार। **खाता संख्या–153, 165**	375 382/2 393 532/365/2	0.1862 0.2388 0.2347 0.0607
	योग	किता– 4	0.7204
	1. शेष खातेदार बदस्तूर जमाबंदी अनुसार। **खाता नम्बर 172, 165, 164, 153, 152**		

वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–20.02.2026 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय

20/02/2026
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा		00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	मीजान		00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)